संख्या : 280/iX/64/ 2009

प्रेषक,

उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक : 15 अक्टूबर 2009

विषय– उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–395/XXVII (7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, पत्र सं0–260/XXVII(7)/2009 दिनांक 27 अगस्त, 2009, पत्र सं0–261/XXVII(7)/2009 दिनांक 27 अगस्त, 2009, पत्र सं0–275/XXVII(7)/2009, दिनांक 07.09.09 एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के पत्र सं0–1453/VII-1-09/233–उद्योग/2008 दिनांक 01.09.2009 तथा अपने पत्र सं0–3044 नि0मु0/के0भु0अ0–1/छठा वेतनमान/09 दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम, में नियमित रूप से तैनात कार्मिकों को छठे वेतनमान आयोग की संस्तुति के क्रम में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17.10.08 के संलग्नक–01 के कॉलम–02 में दिनांक 01.01.06 के पूर्व में इंगित वेतनमान के फिटमेन्ट टेबल के अनुसार दिनांक 01.10.09 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ निम्नाकिंत शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– जिन पदों की सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमानों की समानता है वहॉ पर सरकारी सेवकों हेतु निर्गत वेतन निर्धारण फिटमेन्ट तालिका के आधार पर वेतनमान एवं शर्तें लागू होंगी।

2– प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखों को विभागीय प्रक्रियानुसार अद्यावधिक किया जायेगा और अधिष्ठान व्यय के टर्नओवर को 10–15 प्रतिशत तक रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित वेतनमान पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय भार का वहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अपने स्वंय के वित्तीय संसाधनों से किया जायेगा तथा शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमशः.....

4– परिवहन निगम के पूर्व के तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति मात्र वर्ष 2006–07 को छोड़कर वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 मे निगम शुद्व हानि में था। ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि निगम की अब तक हो रही हानियों के कारणों का सही Diagnasis किया तथा तदनुसार उसको लाभ की स्थिति में लाने के लिये एक माह के भीतर एक Road map (Strategic plan) तैयार किया जाय तथा उसके कार्यान्वयन पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये विभागीय स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की व्यवस्था की जाय।

5– प्रशासनिक विभाग द्वारा निगम की हानियों का मुख्य कारण अलाभकारी मार्गों पर निगम की बसों का संचालन दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि निगम द्वारा किसी भी मार्ग पर बस संचालन हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित किये जाय। वर्तमान में संचालित अलाभकारी मार्गों एवं भविष्य में लिये जाने वाले मार्गों पर संचालन सम्बन्धी निर्णय उपरोक्त मानकों के आधार पर ही करना सुनिश्चित करें।

6– निगम के नियमित कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2009 से ही छठें वेतन आयोग के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय तथा वेतन निर्धारण भी दिनांक 01.10.2009 से किया जाय।

7– निगम तत्काल अपने कार्यकलापों को डायगोनोस्टिक एनालिसिस द्वारा लाभ की स्थिति मे लाने हेतु एक ठोस रणनीति एंव रोड मैप निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करें।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2585/XXVII(7)/2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय,

(उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या : 280/iX/64 /2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
5– निजी सचिव, परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2।
8– गार्ड फाइल।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(गरिमा सैंकली)
उप सचिव